



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 मई 2013—वैशाख 31, शक 1935

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2013

क्र. एफ 14-5-2011-ए-सोलह.—भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर, नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विषय में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-14-5-2011-ए-सोलह, दिनांक 25 नवम्बर 2011 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 25 नवम्बर 2011 को प्रकाशित हुई थी, संशोधित करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुसूची में, अनुक्रमांक 3 में कॉलम (3) में, शब्द और अंक “रूपये 50 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 250 करोड़ अनधिक” के स्थान पर, शब्द और अंक “रूपये 50 करोड़ के अधिक” तथा कॉलम (5) में, शब्द “अपर श्रम आयुक्त” के स्थान पर, शब्द “श्रम आयुक्त” स्थापित किए जाएं।

No. F 14-5-2011-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of rule 2 of the Building and other Construction Workers Welfare Cess Rules, 1998, the State Government, hereby, amends theis Department's notification number F-14-5-2011-A-xvi, dated 25th November 2011 issued in this regard, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 25th November 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in schedule, in serial number 3, in column (3), for the words and figures "more than Rs. 50 crores but not more than Rs. 250 crores" the words and figure "more than Rs. 50 crores" and in column (5), for the words " additional labour commissioner" the words "labour commissioner" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.